15.05.18 यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट वादी की ओर से लोक अदालत राजस्व अभियान, 2018 में अटल सेवा केन्द्र सेवा में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। वादी द्वारा इस आशय का दावा पेश किया गया है कि भूमि खसरा नंबर 3866, 3869 ग्राम सेवा में वादी के नाम के आगे दर्ज नाबालिग का नोट हटाया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रमाण पत्र के अनुसार वादी ऋषिकेश की जन्मतिथी 01 जुलाई 1988 है। इस प्रकार वादी बालिग हो चुका है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाबालिग का नोट हटाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 3866 रकबा 0.50 हेक्टर, 3869 रकबा 0.62 हेक्टर ग्राम सेवा में दर्ज "ऋषिकेश पुत्र सियाराम ना0बा0 संरक्षक स्वयं पिता" ~~कमलेश पुत्र धनफूल~~" के स्थान पर "ऋषिकेश पुत्र सियाराम जाति मीना सा0देह" को खातेदार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो। तहसीलदार, वजीरपुर को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

अध्यक्ष
लोक अदालत
वजीरपुर
एवं
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

सरपंच
ग्राम पंचायत सेवा
पं०स०गंगापुर सिटी (स.मा.)